पूर्व मध्य रेलवे

कार्यालय
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेलवे/हाजीपुर

संख्या: ECR/Optg.Safety/G&SR/24/505 दिनांक: 06.01.26

मंडल रेल प्रबंधक
पूर्व मध्य रेलवे
धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर।

विषय: सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका (हिन्दी संस्करण - 2018) का संशोधन पर्ची संख्या 12.

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, संस्करण - 2018 (हिन्दी संस्करण) की संशोधन पर्ची संख्या 12, जिसमें 16 मदें सम्मिलित हैं, के साथ जारी किया जा रहा है।जो आवश्यक अनुपालन हेतु अग्रेषित किया जा रहा है । संशोधन पर्ची सं.12 के किसी भी मद के स्पष्टीकरण/विवाद के स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।

मंडलों से अनुरोध है कि संशोधन पर्ची को यथाशीघ्र सर्व संबंधित को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें ताकि सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका को अद्यतन किया जा सके।

संलग्नक: (सा.एवं स.नि.पुस्तिका (हिन्दी संस्करण - 2018)
का संशोधन पर्ची संख्या 12)

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2026.01.06 13:23:07 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)
उप.मु.परि.प्र./सामान्य
ईसीआर/हाजीपुर

प्रतिलिपि :

1. पीईडी/सेफ्टी, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली - के सूचनार्थ
2. सचिव महाप्रबंधक- महाप्रबंधक/पू.म.रे के सूचनार्थ,
3. पीएस-I-अपर महाप्रबंधक /पू.म.रे के सूचनार्थ,
4. प्र.मु.सं.अधि,प्र.मु.वा.प्र,प्र.मु.इंजी,प्र.मु.वि.इंजी, प्र. मु.यां.इंजी, प्र.मु.संएवं दूर.इंजी,मु.वि.लों.इंजी,मु.यां इंजी./डीज़ल एवं आपदा प्रबंधन - के सूचनार्थ,
5. प्र.मु.परि.प्र- पूर्व रेलवे, उत्तरपूर्वरेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर सीमांत रेलवे,दक्षिण पूर्व रेलवेउत्तररेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे- के सूचनार्थ,
6. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक - धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर - अनुपालनार्थ,
7. वरिष्ठ म.सं.अधि. - धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर - अनुपालनार्थ,
8. प्राचार्य - क्षे.रे.प्र.सं/मुजफ्फरपुर - के सूचनार्थ,
9. प्राचार्य - क्षे.रे.प्र.सं /भुली, धनबाद - के सूचनार्थ,
10. प्रभारी, सेफ्टी कैम्प - धनबाद - के सूचनार्थ,
11. प्राचार्य - डीटीसी/दानापुर, डीडीयू एवं समस्तीपुर - के सूचनार्थ,
12. मु.प्र.अधि. (उत्तर)/ महेंद्रु - के सूचनार्थ,
13. मु.प्र.अधि (दक्षिण)/ महेंद्रु - के सूचनार्थ

24 G&SR TI /RULE/ECR /HJP

SCAN AnyScanner

पूर्व मध्य रेल

अंतिम संशोधन पर्ची संख्या 11, दिनांक:14.01.2025

संशोधन पर्ची संख्या - 12

(सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक - 2018)

16 मदों सहित निम्नलिखित संशोधन सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक (हिंदी संस्करण-2018) में किए गये हैं जो कि आवश्यक अनुपालन हेतु भेजे जा रहें हैं।

मद संख्या 01

पृष्ठ संख्या 01 पर वर्तमान सामान्य नियम 1.01 का उप-नियम (1) और (2) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार: - भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या: -सा.का.नि 01 (अ) दिनांक 31.12.2024 एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2020/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/05 दिनांक 20.01.2025]

मद संख्या 02

पृष्ठ संख्या 05 पर निम्नलिखित को सामान्य नियम 1.02 के उपनियम (28-क) के रूप मे जोड़ें -

(28-क) भारतीय रेल स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (आईआर-एटीपी) (कवच) का अभिप्राय एक रेडियो कम्यूनिकेशन आधारित नियंत्रण प्रणाली से है, जो कवचयुक्त रेल खण्डों में कवच कार्यरत रेल इंजनों के लोको पायलटों के लिए अतिरिक्त साधन है, जिसका उपयोग किसी भी तरह से लोको पायलट द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य ट्रेन संचालन प्रावधानों (कोड और मैनुअल) के उल्लंघन या अवहेलना हेतु नहीं है।

पू पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:-भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचनासंख्या:-सा.का.नि 01(अ)दिनांक 31.12.2024 एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2020/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/05 दिनांक 20.01.2025]

AnyScanner

मद संख्या 03:-

पृष्ठ संख्या 22 पर निम्नलिखित को सामान्य नियम 3.07 के दूसरा पैरा के रूप मे जोड़ें -

परन्तु, रंगीन बत्ती वाले दूरस्थ सिगनल को पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल के साथ या मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनल के साथ या समपार की सुरक्षा करने वाले रोक सिगनल के साथ मंजूरी देने वाले प्राधिकारी (नीचे दी गई मद (क) के मामले में - संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, और मद (ख), (ग) और (घ) के मामले में संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक) द्वारा उपरोक्त व्यवस्था के साथ संयोजित करने की अनुमति दी गई हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए -

(क) स्टेशन की सीमाओं के बाहर स्थित समपारों का अंतर्पाशन (इंटरलॉकिंग);

(ख) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित डबल डिस्टेंट सिगनलिंग;

(ग) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय, मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग; और

(घ) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय, स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12 .2025

[प्राधिकार:- भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या:-सा.का.नि 778(अ) दिनांक 23.12.2024 एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2022/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/26 दिनांक 13.01.2025]

मद संख्या 04:-

पृष्ठ संख्या 43 पर निम्नलिखित को सामान्य नियम 3.26 के दूसरा पैरा के रूप में जोड़ें -

परन्तु, स्थिर सिगनलों को उपयोग में लाया जा सकेगा यदि उन्हें मंजूरी देने वाले प्राधिकारी (नीचे दी गई मद (क) के मामले में - संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, और मद (ख), (ग) और (घ) के मामले में - संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक) द्वारा गाडियों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त माना गया हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए -

(क) स्टेशन की सीमाओं के बाहर स्थित समपारों का अंतर्पाशन (इंटरलॉकिंग);

(ख) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित डबल डिस्टेंट सिगनलिंग;

(ग) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय, मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग; और

(घ) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय, स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:-भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या: -सा.का.नि 21(अ) दिनांक 06.01.2025 एवं रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2022/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/26 दिनांक 13.01.2025]

SCAN AnyScanner

मद संख्या 05:-

पृष्ठ संख्या 43 पर सहायक नियम 3.26 में निम्नलिखित को नए उप-नियम (iii) के रूप में जोड़ें और वर्तमान सहायक नियम को उप-नियम (iv) के रूप में पढ़ें -

(iii) आईआर-एटीपी (कवच) क्षेत्र में जब कोई नया सिगनल लगाया जाता है या मौजूदा सिगनल को स्थानांतरित / आशोधित किया जाता है, तो इसे उपयोग में लाने से पहले सिगनल साइटिंग कमेटी ऑन-बोर्ड सिगनल की स्थिति लाइन साइड सिगनल के अनुरूप होने और आईआर-एटीपी फिटेड लोको में डीएमआई (ड्राइवर मशीन इंटरफेस) डिस्प्ले पर इसके संकेत का निरीक्षण और प्रमाणन भी करेगी। साइटिंग कमेटी निरीक्षण, जो कि तिमाही में कम से कम एक बार किया जाएगा, के लिए कवच लगे लोको का प्रयोग किया जाएगा।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2022/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/05 दिनांक 20.01.2025]

मद संख्या 06:-

पृष्ठ संख्या 110 पर सहायक नियम 4.08 में निम्नलिखित को नए उप-नियम (3) और (4) के रूप में जोड़ें -

(3) *यदि लोको कवच से सुसज्जित नहीं है या लोको कवच दोषपूर्ण हो जाता है, तो गाड़ी की अधिकतम गति अन्य गति प्रतिबंधों के अधीन 140 कि.मी.प्र.घं. से अधिक नहीं होगी।*

(4) आईआर-एटीपी लगे लोको में, जैसे ही दोषपूर्ण स्पीडोमीटर का पता चलता है, लोको पायलट द्वारा निकटतम पावर कट्रोलर को दोषपूर्ण स्पीडोमीटर को ठीक करने या अगले क्रू चेंजिग पॉइंट पर या उससे पहले, जैसा भी संभव हो, लोको को बदलने के लिए संदेश दिया जाएगा।

यद्यपि, आईआर-एटीपी (कवच) क्षेत्र में, यदि लोको में आईआर-एटीपी (कवच) लगा हुआ है और संबंधित कैब में डीएमआई (ड्राइवर मशीन इंटरफेस) में स्पीडोमीटर काम कर रहा है तो लोको के स्पीडोमीटर के दोषपूर्ण होने पर कोचिंग ट्रेनों की गति को कम करने के वर्णित नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2022/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/05 दिनांक 20.01.2025]

मद संख्या 07 :-

पृष्ठ संख्या 155 पर सहायक नियम 4.32 में निम्नलिखित को नए उप-नियम (vii) के रूप में जोड़ें -

(vii) आईआर- एटीपी (कवच) क्षेत्र में यात्रा शुरू करने से पहले, लोको पायलट ऑन-बोर्ड कवच को बूट करेगा, ट्रेन कन्सिस्ट के अनुसार विन्यास (कॉन्फिगरेशन) दर्ज करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी पैरामीटर ठीक से दर्शाए जा रहे है। आईआर-एटीपी ऑन-बोर्ड लोको कवच केवल कवच लगे प्रथम सिगनल को 'ऑफ' स्थिति में पार करने के बाद ही प्रभावी होगा।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2022/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/05 दिनांक 20.01.2025]

SCAN AnyScanner

मद संख्या 08 :-

पृष्ठ संख्या 162 पर वर्तमान सहायक नियम 4.42 के उप-नियम (2) (ङ) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

(ङ) लोकोमोटिव/एस.एल.आर./ब्रेकवान/वंदे भारत ट्रेन सेट के बाहर, जहां भी स्वीकृत डिज़ाइन वाले सिगनल आदान-प्रदान लाइट उपलब्ध हों, उनका उपयोग लोको पायलट/सहायक लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर द्वारा स्टेशन स्टाफ/ट्रेन पासिंग स्टाफ/पार्श्ववर्ती ट्रेनों के रनिंग स्टाफ के साथ सिगनल का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। यदि सिगनल आदान-प्रदान (एक्सचेंज) लाइट खराब हो, तो मौजूदा सामान्य नियम 4.42 तथा उससे सम्बंधित सहायक नियम का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही, सिगनल आदान-प्रदान लाइट की उपलब्धता लोको पायलट/सहायक लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर को स्टेशन स्टाफ/ट्रेन पासिंग स्टाफ/ पार्श्ववर्ती ट्रेनों के रनिंग स्टाफ द्वारा दिए गए सिगनल एक्सचेंज के पालन से मुक्त नहीं करती है।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2025 /टीटी-IV/12 /10 दिनांक 09.05.2025]

मद संख्या 09 :-

पृष्ठ संख्या 177 पर वर्तमान सहायक नियम 4.65 के उप-नियम (1) (i) में निम्नलिखित को नए पैरा (छ) और (ज) के रूप में जोड़ें -

(छ) ट्रैफिक ब्लॉक में झुण्ड (Convoy) में चलते समय प्रत्येक ट्रैक मशीन के बीच 250 मीटर की पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाएगी।

(झ) ट्रैफिक ब्लॉक में झुण्ड में चलते समय पहली ट्रैक मशीन अधिकतम अनुमेय गति (Maximum Permissible Speed) से चलेगी और झुण्ड में अनुवर्ती ट्रैक मशीनें 40 कि.मी.प्र.घं. या झुण्ड में सबसे कम अधिकतम अनुमेय गति, जो भी कम हो, के साथ सेक्शन में अस्थायी गति प्रतिबंध / स्थायी गति प्रतिबंध का विधिवत पालन करते हुए चलेंगी।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2024 /ट्रैक -III/टीके/2 दिनांक 04.042025]

मद संख्या 10 :-

पृष्ठ संख्या 231 पर सहायक नियम 6.01 में निम्नलिखित को नए उप-नियम (2) के रूप में जोड़ें और वर्तमान सहायक नियम को उप-नियम (1) के रूप में पढ़ें -

(2) जब आईआर-एटीपी (कवच) क्षेत्र में स्टेशन मास्टर को किसी दुर्घटना या अवरोध की सूचना प्राप्त होती है, तो स्टेशन मास्टर, अन्य कार्यशील आईआर-एटीपी (कवच) ट्रेनों को प्रभावित सेक्शन में प्रवेश करने से रोकने के लिए स्टेशन मास्टर ऑपरेशनल पैनल सह इंडिकेशन पैनल (एसएमओसीआईपी) में एसओएस ऑपरेट करेगा।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2022/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/05 दिनांक 20.01.2025]

AnyScanner

मद संख्या 11 :-

पृष्ठ संख्या 257 पर सहायक नियम 6.07 में निम्नलिखित को नए उप-नियम (5) के रूप में जोड़ें -

(5) (क) आईआर-एटीपी (कवच) क्षेत्र में जब लोको में कवच कार्यशील हो, ट्रेनों के संरक्षित और उचित संचालन को प्रभावित करने वाली असामान्य परिस्थितियों की स्थिति में, लोको पायलट अन्य कार्यशील आईआर-एटीपी (कवच) ट्रेनों को लोकेशन पर पहुंचने से रोकने के लिए एसओएस लागू करेगा।

(ख) आईआर-एटीपी (कवच) क्षेत्र में जब लोकों में कवच कार्यशील हो, ब्लॉक सेक्शन में असामान्य रूकावट (Unusual Stop) की स्थिति में, लोको पायलट इसकी अभिस्वीकृति देगा अन्यथा इसके आसपास के क्षेत्र में सभी अन्य कवच लगे लोको में स्वचालित ब्रेक लग जाएंगे।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2022/संरक्षा (ए एन्ड आर)/19/05 दिनांक 20.01.2025

मद संख्या 12 :-

पृष्ठ संख्या 301 पर वर्तमान सहायक नियम 9.12/2(क) पैरा (7) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

7. यह सुनिश्चित करने के बाद कि प्रभावित खंड के अगले स्टेशन पर पहली गाड़ी सुरक्षित पहुँच गई है, बाद की सभी गाड़ियों के लोको पायलट/मोटरमैन को यह अनुमत किया जायेगा कि लागू अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए अपने सेक्शनल गति से चलें और अर्ध-स्वचालित / हस्तचालित प्रथम आगमन रोक सिगनल के एक किलोमीटर पहले से अति सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ें। सम्मुख कांटो, यदि कोई हो, पर गति 15 कि.मी.प्र.घं प्रतिबंधित रहेगी।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2025 /टीटी-IV/12/10 दिनांक 08.04.2025]

मद संख्या 13

पृष्ठ संख्या 433 पर सहायक नियम 17.08 (vii)(घ)(ii) के चौथे लाइन में वर्तमान 120 मीटर को हटाकर 250 मीटर को प्रतिस्थापित करें ।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2024 /ट्रैक -III/टीके/2 दिनांक 04.042025]

मद संख्या 14

पृष्ठ संख्या 433 पर वर्तमान सहायक नियम 17.08 के पैरा (x) को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें -

(x) (क) *ट्रैफिक ब्लॉक में झुण्ड (Convoy) में चलते समय* प्रत्येक टावर वैगन *के बीच 250 मीटर की पर्याप्त दूरी बनाए रखा जाएगा तथा यह सतर्कता आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए ।*

(ख) ट्रैफिक ब्लॉक में झुण्ड में चलते समय पहला टावर वैगन अधिकतम अनुमेय गति (Maximum Permissible Speed) से चलेगा तथा झुण्ड में अनुवर्ती टावर वैगनें 40 कि.मी.प्र.घं. या झुण्ड में सबसे कम अधिकतम अनुमेय गति, जो भी कम हो, के साथ सेक्शन में अस्थायी गति प्रतिबंध / स्थायी गति प्रतिबंध का विधिवत पालन करते हुए चलेंगे।

पू.म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2024 /ट्रैक -III/टीके/2 दिनांक 04.042025]

AnyScanner

मद संख्या 15 :-

परिशिष्ट 'C' (पृष्ठ सं. 482) पर प्रपत्र सं. T/A 912 को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें

पूर्व मध्य रेल **फॉर्म सं. टी/ए912****

क्रम सं...............

स्वचालित/अर्द्ध-स्वचालित/हस्तचालित रोक सिगनल/फाटकरोक सिगनलों को पार करने के लिए प्राधिकार

(लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर का रिकॉर्ड)

स्टेशन ________ समय: ________ बजकर ________ मिनट

दिनांक ________

इंजन / गाड़ी / यूनिट संख्या ________________________ अप / डाउन के मोटरमैन / लोको पायलट को।

(क) स्वचालित सिगनल खराब हो जाने पर आपको ______ स्टेशन और _______ स्टेशन के बीच सभी स्वचालित सिगनलों को पार करने के लिए एतद द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इसके अलावा, आपको वर्दी में रेल कर्मचारी द्वारा हाथ सिगनल दिखाये जाने पर अर्द्ध-स्वचालित/हस्तचालित रोक सिगनल/ फाटक रोक सिगनलों को पार करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है। खण्ड "ख" में यथा उपबंधित को छोड़कर हाथ सिगनल दिखाया जाना है।

(ख) जब गलत लाइन में चल रहे हों (i) आप अवश्य सुनिश्चित करें कि बाहरी साइडिंग के कॉटें, जहाँ उपलब्ध कराये गये हों, सही तरीके से सेट करके तालित किया गया है और/ या समपार फाटक सं ________ बंद हैं और (ii) काँटों / समपार फाटकों को पार करने से पहले वहां पर वर्दी में रेल कर्मचारी द्वारा हाथ सिगनल दिखाया गया है।

यहाँ पर इस प्रकार से पार किए जाने वाले सभी सिगनलों के नंबरों का उल्लेख करें____

सतर्कता आदेश

आपकी गाड़ी 'ऑन' स्थिति में सिगनल/लों को पार करने जा रही है, लागू अन्य गति प्रतिबंधों को पालन करते हुए दृश्यता स्पष्ट होने पर गति 25 कि.मी. प्र.घं. तक सीमित रहेगी तथा लाइन के किसी ऐसे हिस्से पर पहुँचने या उसको पास करने पर जहां आगे की दृश्यता गोलाई ,अवरोध, वर्षा, धुंध के कारण स्पष्ट नहीं हो, गति 10 कि.मी.प्र.घं. तक सीमित रहेगी ।

सम्मुख काँटों,यदि कोई हो, पर गति 15 कि.मी.प्र.घं. तक सीमित रहेगी।

____

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और मुहर

मैंने इस प्राधिकार की विषय-वस्तु को समझ लिया है।

____

ट्रेन मैनेजर के हस्ताक्षर दिनांक:_______ समय:______ बजकर _______ मिनट

____

लोको पायलट के हस्ताक्षर दिनांक:_______ समय:______ बजकर _______ मिनट

**** प्रपत्र सं. T/A 912 को सदैव इन प्रपत्रों में से किसी एक के साथ जारी किया जाएगा - T/B 602, T-511, T/F 602 अथवा पूर्व मध्य रेल के स.नि में निर्दिष्ट अनुसार।**

**** जब प्रपत्र सं. T/A 912 अन्य प्रपत्रों के साथ जारी किया जाता है, तो दिए गए प्रपत्रों में उल्लिखित सबसे प्रतिबंधात्मक गति का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।**

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2024 /TT-IV /12 /10 दिनांक 08.04.25]

SCAN AnyScanner

मद संख्या 16 :-

परिशिष्ट 'C' (पृष्ठ सं. 487) पर प्रपत्र सं. T/D 912 को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें ।

पूर्व मध्य रेल **फॉर्म सं. टी/डी 912**

क्रम सं________

स्वचालित ब्लॉक पद्धति पर सिगनलों की दीर्घकालीन खराबी के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु प्राधिकार

(लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर/स्टेशन मास्टर का रिकॉर्ड)

स्टेशन ________

दिनांक ________ समय: ______बजकर ________मिनट

इंजन / गाड़ी / यूनिट संख्या ______________अप / डाउन के मोटरमैन / लोको पायलट को।

प्रस्थान प्राधिकार

1. __________स्टेशन और________स्टेशन के बीच सभी सिगनल ख़राब हो गये हैं।
2. _________स्टेशन से प्राइवेट नं. (शब्दों में)______(अंकों में)______ के अधीन लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है।
3. आपके इंजन/गाड़ी /यूनिट संख्या______को ______स्टेशन के अर्ध-स्वचालित /हस्तचालित प्रथम आगमन रोक सिगनल तक आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और उसके पश्चात आपको उस स्टेशन के अर्ध-स्वचालित /हस्तचालित प्रथम आगमन रोक सिगनल के संकेतों अथवा _______ स्टेशन के स्टेशन मास्टर के निर्देशों का पालन करना है ।

'ऑन' स्थिति में सिगनलों को पार करने के लिए प्राधिकार

आपको पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है -

1. प्रस्थान सिगनलों एवं _____स्टेशन और _____स्टेशन के मध्य स्थित सभी मध्यवर्ती स्वचालित सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में पार करने के लिए ।
2. वर्दीधारी रेल कर्मचारी के द्वारा हाथ सिगनल दिखाये जाने पर प्रस्थान / हस्तचालित रोक सिगनल / गेट रोक सिगनलों को पार करने के लिए ।
3. आपको पूर्ण सावधानी बरतते हुए समपार फाटक को तभी पार करना है जब कि आपने सुनिश्चित कर लिया है कि गेट बंद हैं ।
4. यहाँ पर इस प्रकार से पार किए जाने वाले सभी सिगनलों का अलग-अलग नंबर लिखें ________________________________

सतर्कता आदेश

आपकी गाड़ी स्वचालित सिगनलिंग की दीर्घ कालीन खराबी के दौरान_____ स्टेशन से _____स्टेशन के मध्य अप/डाउन लाइन पर गुजरने वाली पहली गाड़ी है। **गाड़ी की गति अन्य लागू गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए, दृश्यता साफ होने पर गति 25 कि.मी.प्र.घं. और आगे का दृश्यता बाधित होने पर 10 कि.मी.प्र.घं. से अधिक नहीं होगी ।**

आपकी गाड़ी प्रथम गाड़ी नहीं है तथा आपको ______ स्टेशन से ______स्टेशन के मध्य अप/डाउन लाइन पर, **अन्य लागू गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए सेक्शनल गति से गुजरने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। अर्ध-स्वचालित /हस्तचालित प्रथम आगमन रोक सिगनल के पास पहुँचने से एक किलोमीटर पहले कि.मी _____से अति सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ें।**

सम्मुख काँटों,यदि कोई हो, पर गति 15 कि.मी.प्र.घं. तक सीमित रहेगी।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

____

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर और मुहर

मैंने इस प्राधिकार की विषय-वस्तु को समझ लिया है।

____

ट्रेन मैनेजर के हस्ताक्षर दिनांक:_______ समय:______बजकर _______ मिनट

____

लोको पायलट के हस्ताक्षर दिनांक:_______ समय:______बजकर _______ मिनट

पू .म.रे./सामान्य एवं सहायक नियम- 2018, संशोधन पर्ची सं.-12 दिनांक 11.12.2025

[प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2024 /TT-IV /12 /10 दिनांक 08.04.25]

सर्व संबंधित पूर्व मध्य रेल के सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक - 2018 को तदनूसार संशोधित करेंगे एवं इसे सभी संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संसूचित करेंगे ।

प्रभात 11.12.25

(प्रभात कुमार)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल

सं० ई.सी.आर./परि.संरक्षा/सा.एवं स.नि./24/505 **दिनांक: 11.12.2025**

AnyScanner